

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: प.1(9)रानिआ/लेखा/बजट/2025-26/12

दिनांक : 01.01.2026

प्रेषक—

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित—

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
कलक्टर (समस्त) राजस्थान।

विषय:—पंचायत आम चुनाव 2026 की प्रारम्भिक तैयारी एवं निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु बजट आवंटन बाबत।

संदर्भ:—आयोग का पत्रांक— एफ.7(1)(2)/पंचा/रानिआ/2024/5228
दिनांक 31.12.2025

आयोग द्वारा सम्पन्न कराये जाने वाले पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 की प्रारम्भिक तैयारी एवं फोटो युक्त मतदाता सूची तैयार करने हेतु आयोग के नियंत्रणाधीन बजट मद 2515-00-800-(01)-(02)-57 (विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय) (राज्य निधि) के अन्तर्गत विस्तृत मदों यथा यात्रा भत्ता एवं मानदेय (प्रगणक/स्टाफ), पी.ओ.एल., स्टेशनरी, डाक/फैक्स व टेलीफोन, विविध व्यय, मतदान सामग्री एवं मतदाता सूची मुद्रण के लिए संलग्न सूची (परिशिष्ट-अ) के अनुसार राशि रुपये 16,71,53,000/- (अक्षरे सोलह करोड़ इकहतर लाख तिरेपन हजार मात्र) का एकमुश्त बजट आवंटित किया जाता है।

एकमुश्त राशि का उपयोग मतदाता सूची की तैयारी में लगे प्रगणको के यात्रा भत्ता (अधिकतम तीन दिवस) तथा स्टाफ के यात्रा व्यय, पी.ओ.एल., स्टेशनरी, पोस्टेज/टेलीफोन व पोलिंग मैटेरियल में न्यूनतम आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए किया जावे। मतदाता सूची तैयार करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश संदर्भित पत्र में संकलित किये गये हैं। तदनुसार मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन/अंतिम प्रकाशन हेतु कागज, स्कैन, लेजर प्रिंट एवं मतदाता सूची का मुद्रण अथवा फोटोस्टेट संबंधी समस्त व्यय एकमुश्त आवंटित बजट से किये जा सकेंगे।

मतदाता सूची तैयार करने हेतु प्रगणको (बी.एल.ओ) तथा अन्य स्टाफ को मानदेय का भुगतान मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् आयोग द्वारा उनके मानदेय भुगतान हेतु पृथक से जारी किये जाने वाले आदेश में निर्धारित दरों के अनुसार किया जाना है, जिसके लिए बजट का आवंटन जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा वास्तविक मांग के आधार पर किया जाएगा।

उपरोक्त आवंटित राशि का उपयोग वित्त विभाग/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों/प्रपत्रों तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में प्रदत्त शक्तियों/राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013 के प्रावधानानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे। किसी भी प्रकार की स्थायी सामग्री/नवीन मद के क्रय हेतु राशि का उपयोग नहीं किया जावे। आवंटित राशि के अतिरिक्त बजट मांग प्रकट होने पर पूर्ण औचित्य व

STATE ELECTION COMMISSION

Budget Allotment For Initial Preparations Of Panchayat general Election 2026

परिशिष्ट-अ

Budget Head:-2515-00-800-01-02-57

S.No.	District Name	Office Id	No. of Rural polling Booth	Lumpsum Budget Allotment (Amount in Rs)
1	2	3	4	5
1	AJMER	3710	980	3430000
2	ALWAR	14427	1350	4725000
3	BALOTARA	42261	855	2992500
4	BANSWARA	15119	1552	5432000
5	BARAN	9245	972	3402000
6	BARMER	16117	1487	5204500
7	BEAWAR	42254	867	3034500
8	BHARATPUR	9046	987	3454500
9	BHILWARA	13354	1829	6401500
10	BIKANER	3257	1379	4826500
11	BUNDI	20560	853	2985500
12	CHITTORGARH	12385	1424	4984000
13	CHURU	10083	1391	4868500
14	DAUSA	10986	1198	4193000
15	DEEDWANA-KUCHAMAN	42256	1214	4249000
16	DEEG	42258	753	2635500
17	DHOLPUR	6836	856	2996000
18	DUNGARPUR	6346	1232	4312000
19	GANGANAGAR	6336	1342	4697000
20	HANUMANGARH	20461	1237	4329500
21	JAIPUR	20456	2457	8599500
22	JAISALMER	20462	692	2422000
23	JALORE	19181	1511	5288500
24	JHALAWAR	5528	1174	4109000
25	JHUNJHUNU	3849	1612	5642000
26	JODHPUR	20463	1624	5684000
27	KARALI	12913	1095	3832500
28	KHAIRTHAL-TIJARA	42250	712	2492000
29	KOTA	10775	758	2653000
30	KOTPUTALI-BEHROR	42249	756	2646000
31	NAGPUR	8892	1342	4697000
32	PALI	5387	1303	4560500
33	PHALODI	42260	587	2054500
34	PRATAPGARH	4473	610	2135000
35	RAJSAMAND	16393	1014	3549000
36	SALUMBER	42264	339	1186500
37	SAWAI MADHOPUR	11202	947	3314500
38	SIKAR	17007	1906	6671000
39	SIROHI	16302	782	2737000
40	TONK	6554	1052	3682000
41	UDAIPUR	20448	1727	6044500
GRAND TOTAL			47758	167153000

(Amount in words-Sixteen crore seventy one lac fifty three thousand only)